18/4/19 वकिलों द्वारा आज कण्डोलैंस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दि. 31/5/19 को पेश हो।

31/5/19 प्र.क. उपस्थित। जवाब हेतु समय चाहते हैं पुनः अन्तिम अवसर दिया जाता है पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10/7/19 को पेश हो।

10/7/19 प्र.क. उपस्थित। जवाब पेश नहीं किया गया है जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं अन्तिम अवसर व पुनः अन्तिम अवसर भी दिये जा चुके हैं जिसके बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया है अतः जवाब ए.। बंद किया जाता है बहस ए.। सुनी गई। पत्रावली वास्ते अवलोकन व आदेश दिनांक 18/7/19 को पेश हो।

क्रमन पक्षों को रिकॉर्ड निरीक्षण हेतु सहमत है।
(कृष्ण कुमार शर्मा) एडवोकेट
10/07/2019

18/7/19 वकिलों द्वारा आज कण्डोलैंस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 22/7/19 को पेश हो।

22/7/19 पत्रावली पेश हुई। प्र.क. उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। मूलवाद तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा का है। उभय पक्ष के अधिवक्तागण वादग्रस्त आराजी की वाद के निस्तारण तक स्थिति यथास्थिति बनाये रखने हेतु सहमत है अतः इस न्यायालय द्वारा आरी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28/01/15 को ता फैसला वाद कन्फर्म किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम है तथा मूल वाद के साथ रहे।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.11.25 15:40:36 IST
Reason: SelfAttested